FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

नागरमल पुत्र नाथूराम जाट बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

किस्म मुकदमा–विविध प्रार्थना पत्र अधा 131,136 एल आर एक्ट, मुकदमा नम्बर 05/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
05.02.2024	प्रार्थी श्री नागरमल पुत्र नाथूराम जाति जाट निवासी ढाणी भीखरू की तन् हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर के द्वारा एक प्रार्थना पत्र मौके पर चालू रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी एंव प्रार्थी के भाईयों की शामलाती भूमि जो ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 7258, 7259 में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 7257 तन् ग्राम हरिपुरा से रास्ता चालू है, जो मौके पर चालू है। उक्त रास्ता मुख्य सड़क से खसरा नम्बर 7257 के सहारे–सहारे दक्षिण दिशा में से होता हुआ 15 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी व उसके परिवारजन के मकानों व काश्त की भूमि में आने जाने हेतु चालू होने से चालू रास्ते के लिए भूमि खसरा नम्बर 7257 के मृत्तक खातेदार मालीराम पुत्र लालाराम व हरफूल पुत्र अर्जूनराम व अन्य के द्वारा एक सहमति पत्र भी स्टाम्प पर लिखा होकर उसमें रास्ता चालू हालात में बताया है। उक्त रास्ते को प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कराना चाहता है। उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज नहीं होने के अभाव में प्रार्थीगण उक्त भूमियों का समुचित उपयोग–उपभोग, रूपान्तरण, किस्म परिवर्तन इत्यादि नहीं कर पा रहे है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कृषि भूमि खसरा नम्बर 7258, 7259 में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 7257 तन् ग्राम हरिपुरा से रास्ता चालू है, जो मौके पर चालू है। उक्त रास्ता मुख्य सड़क से खसरा नम्बर 7257 के सहारे–सहारे दक्षिण दिशा में से होता हुआ 15 फुट चौड़ा रास्ता का प्रस्ताव पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी से प्रस्ताव मंगाया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ते का इन्द्राज किये जाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जरिये पत्रांक 5016 दिनांक 26.12.2023 के द्वारा जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से बाद जॉच प्रकरण जरिये पत्रांक 106/भू.अ./24 दिनांक 18.01.2024 के द्वारा आज प्राप्त हुआ। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का बुर्जा की ढाणी की मूल रिपोर्ट को अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय का भिजवाई	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	गई है। पटवारी हल्का बुर्जा की ढाणी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की जांच कर जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया कि राजस्व ग्राम हरिपुरा के भूमि खसरा नम्बर 7258 रकबा 0.72 हैक्टर व 7259 रकबा 0.47 हैक्टर की खातेदारी नाथूराम पुत्र चतरूराम हि0 1/3, भग्गुराम पुत्र चतरूराम हिस्सा 1/3, भूरी देवी पत्नी चतरूराम हिस्सा 1/3 जाति जाट निवासी ढ़ाणी कानात के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी नागरमल पुत्र नाथूराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी भीखरू की तन् हरिपुरा तहसील श्रीमाधोपुर के द्वारा ग्राम हरिपुरा के कृषि भूमि खसरा नम्बर 7258, 7259 पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 7257 तन् ग्राम हरिपुरा के दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे 15 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने जो मौके पर चालू है चाहा गया है। प्रार्थी ने भूमि खसरा नम्बर 7258, 7259 में से खसरा नम्बर 7258 के उत्तरी पूर्वी कोने में पुख्ता आवासीय मकान मय बाड़ा ट्यूबवैल बनाकर निवास करने तथा शेष खातेदारी भूमि पर खेती का कार्य करना तथा भूमि खसरा नम्बर 7257 के दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे लगभग 10 फीट चौड़ाई का रास्ता पर मौके पर चालू होकर रास्ते के दक्षिण की ओर तार लगे होना तथा रास्ते के उत्तरी और मिट्टी की डोल लगी होना जिस नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शित किया गया है। भूमि खसरा नम्बर 7257 की खातेदारी औमप्रकाश, खेमाराम, मुकेश, हरफूल पुत्रगण अर्जूनराम हिस्सा 1/2 व मालीराम पुत्र लालाराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार के दर्ज रिकार्ड होना तथा मौके पर उपस्थित मौतबिरान के द्वारा उक्त रास्ता लगभग 15–20 वर्ष से चालू होना अपनी जॉच रिपोर्ट में अंकित किया है।
उपखण्ड अधिकारी	हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, नक्शा ट्रेस, रास्ता निकालने बाबत शपथ पत्र, तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट, पटवारी हल्का बुर्जा की ढाणी की रिपोर्ट व इसके संलग्न नक्शा ट्रेस, संलग्न दो फोटोग्राफ्स [illegible] गहनता से अवलोकन किया गया।
	Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2024.02.09 10:04:57 IST Reason: SelfAttested
दिलिप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला–नीमकाथाना	जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 7258, 7259 पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 7257 तन् ग्राम हरिपुरा के दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे 15 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराना चाहता है। जिसे मौके पर चालू होना पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है। प्रार्थी ने भूमि खसरा नम्बर

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	7258, 7259 में से खसरा नम्बर 7258 के उत्तरी पूर्वी कोने में पुख्ता आवासीय मकान मय बाड़ा ट्यूबवैल बनाकर निवास करना तथा शेष प्रार्थी ने भूमि खसरा नम्बर 7258, 7259 में से खसरा नम्बर 7258 के उत्तरी पूर्वी कोने में पुख्ता आवासीय मकान मय बाड़ा ट्यूबवैल बनाकर निवास करना तथा शेष खातेदारी भूमि पर खेती का कार्य करना तथा भूमि खसरा नम्बर 7257 के दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे लगभग 10 फीट चौड़ाई का रास्ता पर मौके पर चालू होना पटवारी रिपोर्ट से प्रकट होता है। चूंकि प्रार्थी के द्वारा उक्त रास्ता 15 फुट चौड़ाई का चाहा गया था परन्तु पटवारी हल्का बुर्जा की ढाणी की रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ता मौके पर मात्र 10 फुट चौड़ा रास्ता होने से उक्त रास्ते को 10 फुट की चौडाई में ही सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आने से राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करने हेतु प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये जाने पर उक्त खसरा नम्बरान् में से प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ दर्ज किया जाना तथा उक्त भूमि की खातेदारी खातेदारान् के नाम ही यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मौके पर चालू रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने बाबत को पटवारी हल्का बुर्जा की ढाणी व तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 7258, 7259 पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 7257 तन् ग्राम हरिपुरा के दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे 10 फुट चौड़ा रास्ता की किस्म राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता (सार्वजनिक प्रयोजनार्थ) के रूप में जिसे पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी के द्वारा नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से डॉटेड लाईन से दर्शित किया गया है के अनुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी खातेदारान् के नाम ही यथावत रखी जाये। तदनुसार भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर निर्णय अनुसार राजस्व अभिलेख नक्शा ट्रेस में अमल दरामद की कार्यवाही करें। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 05/02/24 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	656/रीडर/24 7-2-2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.09 10:04:57 IST
Reason: SelfAttested